न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सुनीलकुमार चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 /2025
जीसीएमएस सं0 : 2025/255

बरकत अली **बनाम** राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

–:: निर्णय ::– दिनांक : – 15.09.2025

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अनवानी प्रकरण में तहसील घड़साना के चक 9 आरजेडी के प0 नं0 136/29 मु0 नं0 41 के किला नं0 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 1.993 है0 कमाण्ड/अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए पेश किया गया था लेकिन उक्त प्रकरण में उक्त भूमि के अभिवचन व निर्णय में प0 नं0 136/19 दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि का प0 नं0 136/29 है। प्रकरण में शामिल दस्तावेजात जमाबन्दी, हल्का पटवारी की रिपोर्ट में प0 नं0 136/29 ही अंकित है तथा उक्त भूमि लिपिकीय एवं मानवीय भूल है जिसे प्रार्थी सही करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2025 में अंकित प0 नं0 136/19 के स्थान पर सही प0 नं0 136/29 लाल स्याही से अंकित कर सुधार किया जावे।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज को सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की जमाबन्दी एवं तहसीलदार तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प0 नं0 136/29 दर्ज है लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की कृषि भूमि का प0 नं0 136/19 अंकित किया गया है जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2025 भी प0 नं0 136/19 दर्ज हो गया है जो सहवन से लिखा जाना प्रतीत होता है इसलिए दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता हें

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण सं0 42/2025 (जीसीएसएम सं0 2025/152) अनवानी बरकतअली बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक

11.08.2025 में तहसील घड़साना के चक 9 आरजेडी के प0 नं0 136/19 मु0 नं0 41 किला नं0 4, 7, 14 ता 17, 24, 25 की 1.993 है0 कमाण्ड/अ0क0 कृषि भूमि में प0 नं0 136/19 के स्थान प0 नं0 136/29 लिखा जाकर दुरूस्त किया जाता है इसी अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। तहसीलदार घड़साना को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना